

Title: Discussion on the motion of Confidence in the Council of Ministers moved by Shri Atal Bihari Vajpayee.
(Contd. - Concluded.)

MR. SPEAKER: Hon. Prime Minister, Shri Vajpayee, please.

... (Interruptions)

PROF. SAIFUDDIN SOZ (BARAMULLA): Please give me five minutes' time.

MR. SPEAKER: No, please.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: You cannot speak because yesterday's sitting went up to six o'clock of today morning. Please take your seat.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : Please allow me for five minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Please allow him for one minute.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Prof. Soz, please take your seat. Now, the Prime Minister.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Prof. Soz, please take your seat. You cannot speak now. Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat. Now, the Prime Minister please.

... (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : You allow him one minute.

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): No.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: There is no such procedure. Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: There is no such procedure. Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Sathiamoorthy and Shri Muthiah, please take your seats.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): We are telling that we sat till 5.45 in the morning. What is this?

SHRI VAIKO (SIVAKASI): Let the Prime Minister speak now.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat. When this is not the practice, I am not allowing you.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Acharia, you are a senior Member. What is this? Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Now, the hon. Prime Minister, please.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat. Shri Lalu Prasad, please understand this is not the procedure. What is this? Please take your seat.

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Please allow me to speak for one minute.

MR. SPEAKER: Please take your seat. How can I allow you? Please understand this is not the procedure. Yesterday's sitting went up to six o' clock of today morning. Please understand this.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Yesterday's sitting went up to six o' clock of today morning. Please understand.

SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): It is a sensitive issue. Please allow me for only one minute.

MR. SPEAKER: Shri Sharad Pawar, I am appealing to you, do not create any new precedent.

PROF. P.J. KURIEN : He was not here yesterday.

MR. SPEAKER: Yesterday's sitting went up to six o' clock of today morning.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Chaubey, please take your seat.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not good. You are all senior Members. Please understand.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Senior Members should not behave like this.

Now, the Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee.

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, परसों विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करते हुए मैंने यह कहा था कि मैं कुछ कहने से पहले सुनना चाहूंगा। अब आज मेरी बारी है, इसमें रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए। प्रतिपक्ष की ओर से यह शिकायत की गई है कि अल्पमत में आते ही

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, माइक ठीक नहीं है, इसे सुधरवायें।

MR. SPEAKER: Hon. Prime Minister, could you please use the second mike also?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, वे मुझे सुनना चाहते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : आपको तो हम सुनना ही चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं कह रहा था कि यह शिकायत की गई है और इसके लिए मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैंने राजनैतिक नैतिकता का पालन नहीं किया। संसद की बैठक चल रही है। प्रतिदिन सदस्यों को, प्रतिपक्ष को सरकार के विरुद्ध मतदान करने का अवसर मिलने वाला था।

श्री मुलायम सिंह यादव : सबसे पहले आप चंद्रशेखर जी को उनके जन्म दिन पर बधाई दे दीजिए

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: When the Leader of the House is speaking, do not disturb him.

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या बधाई भी नहीं देने दोगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं सदन में

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आज चंद्रशेखर जी का बर्थ डे है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: किसका बर्थ डे है?

अध्यक्ष महोदय : आज चंद्रशेखर साहब का बर्थ डे है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: बहुत-बहुत बधाइयां।

अध्यक्ष महोदय, लगभग ४० साल से मैं संसद से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अल्पमत की सरकारें भी देखी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में अल्पमत की सरकार थी। किसी ने उन पर आरोप नहीं लगाया कि वह नैतिकता का उल्लंघन कर रही हैं। श्री नरसिंह राव जी भी अल्पमत की सरकार चलाते रहे।

उस अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए क्या-क्या किया गया, इस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर प्रतिपक्ष मेरे बहुमत को कसौटी पर कसना चाहता था, तो स्वयं प्रस्ताव ला सकता था। अभी तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि महामहिम राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाने की बजाय, प्रतिपक्ष इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? जब राष्ट्रपति जी ने कहा कि आपको विश्वास मत प्राप्त करना चाहिए, हम तत्काल तैयार हो गए। दो दिन बहस चली है, अब समाप्त होने जा रही है। बहस और भी अच्छी हो सकती थी। हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और हैं भी, लेकिन हमारी संसद देखकर, अभी-अभी जो देश लोकतंत्र की धारा से जुड़े हैं, वे क्या अनुभव करते होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। हमारा सार्वजनिक जीवन आरोपों और प्रत्यारोपों के घेरे से कब उठेगा? आरोप लगाए जाएं, तो उनकी पुष्टि में कुछ कहा जाना जरूरी है। प्रैस में या मीडिया में जो कुछ छपा है, उसको दोहरा दिया जाए, यह तरीका हो सकता है, मगर बहुत अर्थपूर्ण तरीका नहीं है, बहुत कारगर तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी सरकार को बने १३ महीने हुए हैं। हमें कसौटी पर कसा जा रहा है। मैं बड़ा अनुभवी राजकर्ता हूँ, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता हूँ, यह दावा जरूर है। जब मैं प्रतिपक्ष में था, तब किसी ने मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि मेरे किसी कार्य से देश के हितों को आंच आ रही है, तो क्या सत्ता में आने के बाद, मैं बदल गया हूँ, क्या सत्ता इतना परिवर्तन करती है? तब तो जो ४० साल सत्ता में रहे, उनकी दशा क्या होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए, चुनाव के बाद परिणाम आए, एक मिलीजुली सरकार बननी निश्चित थी। अंतिम समय में भी हमने राष्ट्रपति जी से कहा था कि जितनी संख्या होनी चाहिए और लोकतंत्र संख्या का खेल है, हमारे पास नहीं है। अगर कोई और सरकार बनाने में समर्थ है, तो आप निर्मंत्रण दीजिए, हम थोड़े और दिन प्रतिपक्ष में बैठ लेंगे। लेकिन कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। १३ महीने बाद तैयार हो गए, अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रतिपक्ष ने कहा कि हम रचनात्मक विरोध करेंगे। हम किसी का साथ नहीं लेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम उस घड़ी की प्रतीक्षा करेंगे जब हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। ऐसा लगता है कि पचमढ़ी बहुत दूर रह गई है। नए गठबंधन हो रहे हैं। हमारे गठबंधन पर टिप्पणी की गई है। नए गठबंधन हो रहे हैं। हम तो मिलकर चुनाव लड़े थे। अधिकांश दल मिलकर चुनाव लड़े थे। शासन की बागडोर संभाली तो देश के सामने नैशनल एजेंडा प्रस्तुत किया, लेकिन आज हमें हटाने के लिए और निषेधात्मक रवैये में, नकारात्मक रवैये में ऐसे दल इकट्ठे हो रहे हैं जिनके बीच विचारों का कोई साम्य नहीं है। हम तो प्रारंभ से यह कहते रहे हैं कि भारत की राजनीति जिस तरह का मोड़ ले रही है उसमें क्षेत्रीय दलों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्षेत्रीय दलों का उभार, हमारी विविधता का परिचायक है। यह इस बात का भी संकेत है कि जो अपने को अखिल भारतीय दल कहते हैं, वे प्रदेशों की आशाओं और आकांक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। १३ महीने हम सरकार चलाते रहे हैं, अनेक क्षेत्रीय दल हमारे साथ हैं। जो बाद में हमें छोड़कर चले गए उन्होंने भी ऐसा रवैया नहीं अपनाया जो इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए आपत्तिजनक हो। उनसे मतभेद हुए, लेकिन देश की एकता में उनका विश्वास डिगा नहीं। यह एक ऐसा ऐसा शुभ लक्षण है जिसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने १९९८ के अपने इलैक्शन मैनीफेस्टो में रीजनल पार्टीज की जिस तरह से निन्दा की वह स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय नहीं देती है। मैं उद्धृत कर रहा हूँ-

"By their very nature, regional parties lack a national perspective and can never rise above local ethnic considerations. They adopt populist platforms for coming to power. They incite narrow linguistic or ethnic sentiments. Very soon these agendas become a recipe for economic disaster and social turmoil."

अगर क्षेत्रीय दलों के बारे में यह आंकलन है, तो उनके साथ गठबंधन आप कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? क्षेत्रीय दलों के अलावा कांग्रेस ने रीजनल पार्टीज के बारे में टिप्पणी की है। मैं उसे भी उद्धृत कर रहा हूँ। हमारे वाममार्गी मित्र उसे सुन लें।

"As for the Left Parties, even after seven decades, the CPI and the CPM, have not been able to integrate themselves into the national mainstream."

यह गंभीर आरोप है। यह कांग्रेस मैनीफेस्टो का हिस्सा है, एक उदघोषणा है। अब शायद इसलिए गठबंधन हो रहा है कि लैफ्ट पार्टीज को नैशनल मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): We do not need their certificate either way.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: जनता दल असमंजस में था। पता नहीं, उसने क्या फैसला किया है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता दल का जिस भाषा में उल्लेख किया है, उसे जनता दल के मित्रों को फिर से याद करना चाहिए।

"The Janata Dal was born in a convulsive fit of anti-Congressism in 1989. It is a collection of disparate groups and embittered individuals driven by egos. It can hardly be called a serious political formation. Like an amoeba, it lives on splitting itself into smaller and smaller groups. Its platform of social justice is hollow and is just a misleading cover for the practice of a divisive caste politics."

अगर मिलन का यह आधार बनने वाला है, तो फिर स्थिरता की बातें कोई अर्थ नहीं रखती हैं। मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई और मेरी सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया कि इसमें अंतर्विरोध से ग्रस्त पार्टियां हैं। आप जिस ढांचे को खड़ा करने का विचार कर रहे हैं और जो पूरा नहीं होगा, वह क्या एक विचार से अनुप्राणित है? क्या कोई कार्यक्रम है, क्या नेतृत्व एक है? उस दिन श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि आप हट जाइये, हम पांच मिनट में नहीं एक मिनट में विकल्प खड़ा कर लेंगे। क्या उसके बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जनादेश से बनी हुई सरकार को आप हटाने की बात कर रहे हैं

... (व्यवधान)

अगर किसी को जनादेश था, तो वह हमको था, आपको तो नहीं था। ... (व्यवधान)

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): Ten parties have got 25 per cent and our party alone has got 21 per cent votes.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, तेरह महीने के कार्यकाल में हमने अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है।

... (व्यवधान)

KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, this running commentary should be stopped immediately otherwise, we will interrupt.

MR. SPEAKER: There should be no running commentary please. What is this?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारा आधार नैशनल एजेंडा है। हमने उसके आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। नैशनल एजेंडा पांच साल का कार्यक्रम है। उसे निश्चित कार्यावधि में पूरा करने का हमारा इरादा है। क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि हमने जब सत्ता संभाली, उस समय देश की जो स्थिति थी, उस स्थिति में सुधार हुआ है? चाहे वह देश की सुरक्षा का सवाल हो, अर्थव्यवस्था का प्रश्न हो, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों का मुद्दा हो, हमारा दावा अधिकारपूर्ण है कि हमने हरेक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया है और उसमें सफलता पाई है।

यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया कि देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं १९७४ में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था। हम प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था क्योंकि वह देश की रक्षा के लिए किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्म-रक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर पहले से तैयारी हो तो जो खतरा आने वाला है, वह खतरा भी दूर हो जाएगा, खतरा अमल में नहीं आएगा और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था।

परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्र शेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन पचास साल का हमारा अनुभव क्या बताता है। क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है, वह एक चेतावनी है। पोखरण-

II

टैस्ट कोई आत्म-श्लाखा के लिए नहीं था।

वह कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूँ कि यह देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वह क्रेडिबल भी होना चाहिए, इसीलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयाँ आयेंगी, यह हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ।

आर्थिक प्रतिबन्ध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा सम्बन्धी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं हैं, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बन्द करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकता है। युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शान्ति रही, दो शिविरों में बंटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ, इसके मूल में कहीं न कहीं यह बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज्र आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। इस पर सारा सदन विचार करे, इस बात की आवश्यकता है।

आलोचना तो अग्नि-

II

की भी हुई है और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ, जब सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारी एक अपनी पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि हम दबाव में आ गये हैं, इसलिए अग्नि-

II

का परीक्षण रोक दिया गया है। उसी समय परीक्षण हो चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था, विदेशों में भी भ्रान्ति उत्पन्न कर सकता था।

अध्यक्ष महोदय, १३ महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न आगे करेंगे। मैं नहीं समझता कि भारत में कभी ऐसी सरकार आएगी जो दबाव में काम करेगी। लेकिन ऐसी सरकार आ चुकी है, यह मुझे मालूम है। क्या हमारे परमाणु परीक्षण से पहले जो सरकारें थीं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी की सरकार, वह इस सम्बन्ध में आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरामण जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह उस समय रक्षा मंत्री थे, जिस पद पर बाद में मुलायम सिंह जी आरूढ़ हुए - वेंकटरामण जी ने यह रहस्योद्घाटन किया कि तैयारी हो गई थी परीक्षण की, पोखरण जाने के लिए साज-सामान प्रस्तुत था, मैं परीक्षण के समय उपस्थित रहने वाला था, लेकिन परीक्षण नहीं हुआ, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव था। क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव में हम काम करेंगे, क्या अपनी रक्षा के मामले में हम स्वयं निर्णय नहीं करेंगे? दबाव तो हमारे ऊपर भी है, लेकिन हमने राष्ट्र की रक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। हम दूध के जले हैं, छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीना चाहते हैं। देश की स्वतंत्रता, देश की सर्वप्रभुता सुरक्षित रहनी चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा, तभी सामाजिक न्याय की स्थापना के काम में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर सीमाएं अक्षुण्ण रहेंगी, तभी देश के मानस को निर्माण के कार्य की ओर, परिश्रम की पराकाष्ठा करने की दिशा में प्रवृत्त किया जा सकता है।

हम तीन बार हमलों के शिकार हुए हैं। ऐसी नौबत फिर से नहीं आनी चाहिए। हम किसी पर हमला करने की तैयारी नहीं करते हैं, इरादा भी नहीं रखते हैं। मुझ से यह सवाल पूछा गया कि पोखरण-२ और लाहौर की बस यात्रा, इनमें क्या सम्बन्ध है? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपनी रक्षा की शक्ति और फिर मित्रता का हाथ, ईमानदारी से मित्रता का हाथ, लेकिन आत्मरक्षा की तैयारी भी ईमानदारी से। मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नांडीज ने कल इस बात का उल्लेख किया था कि जब १९७७-७८ में जनता सरकार बनी थी, श्री मोरारजी भाई प्रधान मंत्री थे तो मुझे विदेश मंत्रालय का काम सौंपा गया था। तब भी मैंने पड़ोसियों के साथ मित्रता के सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयास किया था। उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। अब तो केवल पाकिस्तान ही नहीं, अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे सम्बन्ध सुधरे हैं। जो सम्बन्ध सुधरे हैं, उनके बारे में कहना कि सम्बन्ध नहीं सुधरे हैं,

यह राष्ट्र के कौन से हित को संबद्धित करता है? उन देशों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दुनिया में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? श्रीलंका के साथ मुख्य व्यापार समझौता हुआ है। नेपाल के साथ ट्रांजिट संधि हुई है। कलकत्ता-ढाका के बीच में बस चलने वाली है। इसका परीक्षण हो रहा है। नेपाल में इन दिनों चुनाव हो रहे हैं और पहला अवसर ऐसा आया है जब उस चुनाव में भारत का ही मुद्दा नहीं है, भारत को लेकर आरोप-प्रत्यारोपों की झड़ी नहीं लगायी जा रही है, भारत की नीति से वहां के राजनैतिक दल भी संतुष्ट हैं। हम किसी पड़ोसी देश में दखल नहीं देना चाहते लेकिन हम किसी को अपने मामलों में दखल देने भी नहीं देंगे, इसलिए जब मैं लाहौर गया तो उसी समय राजौरी में हत्याकांड हुआ था, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से तत्काल हमने वह मामला उठाया। मैंने उनसे कहा कि अगर इस तरह के हत्याकांड होंगे तो फिर सदभावना का वातावरण नहीं बनेगा और सदभावना का वातावरण नहीं बनेगा तो सहयोग के रास्ते नहीं खुलेंगे।

जम्मू-कश्मीर की स्थिति आज बदल गई है। छोटपूट घटनाएं हो रही हैं, उनको भी रोकना पड़ेगा। इसमें योगदान करना पड़ोसी का कर्तव्य है लेकिन जम्मू-कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन के लिए अगर श्रेय जाता है तो वहां की जनता को जाता है। वह शांति से अपना जीवन निभाना चाहती है। अब उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। भावनाएं भड़काकर उनके हाथों से गलत काम कराने का प्रयास अब आगे सफल नहीं होगा। आजकल जम्मू-कश्मीर खबरों में नहीं है। अगर है तो इस दृष्टि से है कि वहां कितने पर्यटक जा रहे हैं, वहां कितने यात्री गये, फिल्म बनाने के लिए कौन सी कम्पनियां वहां इन दिनों डेरा डाले हुई हैं। यह सुधरी हुई स्थिति का परिचायक है। उत्तर पूर्व की स्थिति को सुधारने में भी हमें थोड़ी सफलता मिली है। आगे प्रयत्न जारी हैं। उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाये गये, और भी कदम उठाये जाएंगे। सचमुच में ये मुद्दे पार्टी के मुद्दे नहीं हैं। ये हमारे राष्ट्रीय प्रश्न हैं।

कल यह कहा गया कि हमने प्रतिपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। अपने नेशनल एजेंडा में कंसेंसस विकसित करने की बात कही थी मगर व्यवहार में ऐसा नहीं किया यह आरोप ठीक नहीं है। जहां चर्चा की आवश्यकता थी, हमने चर्चा की है। जहां विश्वास में लेना आवश्यक था, हमने विश्वास में लिया है। इतने बड़े और विविधता से परिपूर्ण इस देश को साथ-साथ चलाना केवल सरकार के बूते की बात नहीं है। इसमें सभी पक्षों का दायित्व है। क्या प्रतिपक्ष में हम थे तो हमने अपने दायित्व का पालन नहीं किया? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमें जानकारी दे दी थी कि पोखरण में परीक्षण होने वाला है, आप प्रतिपक्ष में हैं, हम आपको सूचना दे रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह की जानकारी पहले नहीं दी जाती है लेकिन हमने उसे शिकायत का मुद्दा नहीं बनाया। और भी इस तरह के सवाल आते रहे। हमारा प्रयास है कि हम सबकी सलाह से आगे बढ़ें, सबके सहयोग से समस्याओं का समाधान करें। इसमें प्रतिपक्ष को भी अपना दायित्व पूरा करना होगा।

विचार-विनिमय के और भी अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। कल महिलाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर भी हमें आलोचना का निशाना बनाया गया। अलग-अलग दलों से बातचीत हुई है। अगर यह विश्वास हो जाए कि विरोध नहीं होगा, छीनाझपटी नहीं होगी तो हम कल विधेयक लाने के लिए तैयार हैं, उसको पास कराने के लिए तैयार हैं लेकिन पिछली बार ... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : कल किसी ने देखा है क्या ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, एक सर्वानुमति बनी थी कि विधेयक जिस रूप में है, उसी रूप में पारित किया जाए और अलग-अलग वर्गों को अगर प्रतिनिधित्व देना है तो उस पर बाद में विचार किया जाए लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार नहीं किया। अब हमारे ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। सारी दुनिया जानती है कि राज्यसभा में हमें बहुमत प्राप्त नहीं है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिपक्ष के सहयोग से वहां पारित भी होते रहे हैं। प्रतिपक्ष ने उन्हें महत्वपूर्ण समझा और वह देश की दृष्टि से आवश्यक भी थे। उसमें सहयोग दिया लेकिन प्रतिपक्ष में मतभेद के कारण जो विधेयक रह गये, उनके लिए हमें दोषी ठहराना, यह हमारे साथ न्याय करना नहीं है। हम उन्हें फिर से लाने का प्रयास करेंगे। जब हमने सत्ता संभाली थी तो देश की आर्थिक स्थिति बड़ी विषम थी। क्या कोई इंकार कर सकता है कि आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है? कोई इससे इंकार नहीं कर सकता। अगर संकुचित संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाकर भी आलोचना की जाए तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले छः महीने में स्थिति सुधरी है- ५.८ परसेंट जी.डी.पी. का होना, ३२ बिलियन रिजर्व और इंफ्लेशन ४.६ परसेंट-

इसे मैनेज किया जा सकता है। बीच-बीच में राजनैतिक अस्थिरता का वातावरण पैदा किया जाता है, उसका अर्थ-व्यवस्था पर कितना कुछ कुप्रभाव पड़ता है, यह आजकल हम देख रहे हैं। क्या प्रतिवर्ष यह खेल होगा? अगर आपकी सरकार बनती है तो मिली-जुली सरकार में तो आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रतिपक्ष के समर्थन से ज्यादा समर्थन हमें प्राप्त है, या यह सहयोग, यह मित्रता केवल हमें हटाने तक सीमित है। देश को अंधेरे में रखा जाएगा? देश को विश्वास में नहीं लिया जाएगा? क्या इसे नैतिकता की संज्ञा दी जाएगी? जो कुछ है, वह खुले में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से देश को मजबूत होना, आर्थिक स्थिति में सुधार, देश के भीतर शान्ति का और सहयोग का वातावरण, कुछ दुर्घटनायें हुई हैं इतना बड़ा देश है, लेकिन उन्हें तत्काल रोकने की कोशिश हुई है। इन विषयों पर मेरे मित्र जो पहले बोले थे, वे प्रकाश डाल चुके हैं। श्री यशवन्त सिन्हा ने विस्तार से आर्थिक स्थिति की चर्चा की, उसमें क्या परिवर्तन आया है, उसे सदन के सामने रखा है। इस बार अन्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। भण्डारण की व्यवस्था कम पड़ रही है। इसका श्रेय किसानों को दिया जाएगा, हम श्रेय लेने का दावा नहीं कर रहे हैं। बरसों से अपनाई गई नीति, अपने सुपरिणाम दिखा रही है। लेकिन अगर बाढ़ आ जाए, अगर तूफान आ जाए और फसल नष्ट हो जाए, तो फिर उस परिस्थिति का सामना करने के लिए सबको एक जुट होने की जरूरत है, मगर उसमें राजनीतिक लाभ उठाने की इच्छा पैदा होती है। इस मनोवस्था को बदलना पड़ेगा। हमारे किसान हमारे बधाई के पात्र हैं। किसानों की समस्यायें हमारे सामने हैं। पिछली बार यूरिया के दाम बढ़ाने का फैसला हुआ था। अब किसानों की ओर से, उनके संगठनों के ओर से मांग हो रही है कि किसानों का बोझ कम होना चाहिए। हम उन्हें आश्वासन देना चाहते हैं कि उनके बोझ को कम करने के लिए पूरे प्रयास किए जायेंगे। इसके लिए कदम उठाए जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इनपुट के दाम कम हों, यह बहुत जरूरी है। प्राकृतिक आपदाओं से किसान कैसे बच सकें, इसका प्रबन्ध आवश्यक है।

फसल बीमा योजना तैयार है। कृषि नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह पूछा जा रहा है कि आपको साल भर हो गया, आप कृषि नीति नहीं बना सके? आपको तो पचास साल हो गए फिर भी आप देश को कृषि नीति नहीं दे सके। कृषि नीति बनाई जा रही है। उसमें सबके साथ विचार विनिमय की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। किसानों के हित का सवाल है। इसमें सबका सहयोग आवश्यक है।

पिछले सत्र में उन मैमोरेण्डम को लेकर उग्र भावनायें प्रकट की गई थीं, जिनका संबंध

SC/ST

और पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन से है। रिजर्वेशन की अवधि समाप्त हो रही है। सरकार ने फैसला किया है कि अगले दस साल के लिए इस अवधि को बढ़ाने का विधेयक हम सदन के सामने लेकर आयेंगे। १९९७ में जो मैमोरेण्डम निकाले गए थे, उनमें से दो अदालत में हैं। हमारा प्रयास है कि उसमें अदालत जल्दी से फैसला करे। एक विषय को लेकर विधेयक तैयार है और उसे इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह आवश्यक है कि सेवाओं में

SC/ST

और बैकवर्ड क्लास के लिए जो बैकलाग है, उसको भरने का रास्ता निकाला जाए। अभी जो व्यवस्था है, वह संतोषजनक नहीं है। उसके चलते तो बरसों तक बैकलाग पूरा नहीं होगा, बल्कि नया बैकलाग तैयार होता जाएगा। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। इसके लिए भी सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। इस साल पर परिगणित जातियों और जनजातियों व पिछड़े वर्ग के बन्धुओं की भावनाओं को हम समझते हैं। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन अब तेजी से काम होगा। जो सदस्यों की तथा इन वर्गों की इच्छा और अपेक्षा है, उसे पूरा किया जाएगा।

एक प्रश्न जो काफी चर्चा का विषय बना है...

श्री बूटा सिंह (जालौर): हमने कहा था कि कन्वेंन्स कर लीजिए और सब को बुला लीजिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी: करेंगे।

श्री बूटा सिंह (जालौर): यह बात मानी होती, तो यह मसला संसद में ही हल हो जाता।

... (व्यवधान)

हमारे भी प्रधान मंत्री हैं, आप कब्जा क्यों कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

... (व्यवधान)

आपने वैसा नहीं किया है, नहीं तो वह मसला हल हो जाता।

... (व्यवधान)

12.00 hrs.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, एक विषय जिसका चर्चा में उल्लेख किया गया है, वह नौसेना के अधिकारी को उनके पद के हटाए जाने का मामला है।

मेरे मित्र रक्षा मंत्री जी ने उस संबंध में सदन के सामने कुछ विचार प्रकट किए थे। मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने जो दस्तावेज प्रकाशित किया है, उसको पढ़ें। वह दस्तावेज प्रचार के लिए नहीं हैं, वह तथ्यों का विवरण है। तथ्यों के आधार पर फैसला होना चाहिए, आरोपों-प्रत्यारोपों के आधार पर नहीं। उस दस्तावेज को पढ़ने के बाद अगर सदन इस परिणाम पर पहुंचता है कि इस मामले में कुछ और करने की आवश्यकता है तो सरकार का सहयोग उन्हें मिलेगा। एक सुझाव आया है, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह प्रश्न खड़ा किया था कि क्या हम चर्चा भी नहीं कर सकते। चर्चा हवा में नहीं होनी चाहिए, चर्चा आरोपों और प्रत्यारोपों के वातावरण में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए और वह ठोस आधार है। जो दस्तावेज प्रकाशित हुआ है उसे आधार बना कर चर्चा की जा सकती है। सदन के कुछ प्रमुख सदस्यों की समिति भी बनाई जा सकती है। श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री गुजराल, मुलायम सिंह यादव जी, चन्द्र शंखर जी को हाथ जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। शिवराज पाटील जी तथा और भी नाम आवश्यक हो तो उनका इसमें समावेश किया जा सकता है। वे तथ्यों को देख लें और अगर वे इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सदन में चर्चा के साथ-साथ कोई संसदीय समिति भी होनी चाहिए तो सरकार उस पर आपत्ति नहीं करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन आरोप-प्रत्यारोप को आधार बना कर, मीडिया में प्रकाशित सामग्री को लेकर अगर आरोप लगते हैं तो किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आरोप लगाने वाले कम से कम यह तो अनुभव करें कि उनसे उनकी बात को सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। रक्षा मंत्री जी ने जो दस्तावेज प्रकाशित किया है, वक्तव्य दिए हैं, वह सर्वदलीय समिति, जो आपके कक्ष में मिली थी उसके निर्णय के अनुसार किए हैं। उन्होंने किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। उन्होंने सदन या देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं की, मगर जब देश के रक्षा मंत्री जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगते हैं तो सारी व्यवस्था पर चोट होती है, उनके दिल पर भी आघात लगना स्वाभाविक है। इसका रास्ता निकाला जा सकता है, समस्याओं के हल ढूँढे जा सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हर बात को संदेह की नजर से देखने की आदत छोड़ दें।

कोई सार्वजनिक प्रश्न आता है तो तत्काल मन में यह सवाल उठता है कि कुछ दाल में काला जरूर है। अगर दाल में काला है तो उसकी जांच होनी चाहिए।

हम ४० साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अब भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम समझौते के लिए कल तैयार होते तो आज यहां विश्वास मत प्राप्त करने की नौबत ही नहीं आती। हमने मिलीजुली सरकार को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश की है।

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : नहीं चली।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: चल रही है और आज शाम को और तेजी से चलेगी। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के चलने या न चलने का सवाल नहीं है। यह देश चलेगा या नहीं चलेगा, जनता का निर्णय मान्य होगा या नहीं होगा। एक मिलीजुली सरकार की आलोचना करने के बाद फिर से मिलीजुली सरकार बनेगी तो क्या यह उन दोषों से बचेगी जिनके लिए हमको अपराधी करार दिया जा रहा है। मिलीजुली सरकार की सीमाएं हैं।

... (व्यवधान)

उन सीमाओं को अभी हमें समझना है और आचरण करना है। कांग्रेस पार्टी का संकोच और झिझक मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उनका मन बंटा हुआ है। हमें हटाने की उत्कट लालसा, सत्ता में भागीदार बनने की इच्छा और उसके साथ अपने बल पर आगे बढ़ने का फैसला - इसमें कठिनाइयाँ हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि कठिनाइयों को हल करने का लोकतांत्रिक तरीका निकाला जाएगा। अच्छा है, दो दिन बहस चली है। गर्मागर्म जरूरत से ज्यादा बहस हुई। थोड़ा संयम चाहिए और यह बात सभी दलों पर लागू होती है। लोकतंत्र हमारा सबसे बड़ा आभूषण और हथियार है जिसे एक जीवन-व्यवस्था के रूप में हमने स्वीकार किया है। हर नागरिक को समानता की उसके अंदर गारंटी प्राप्त है। इस देश को एक रखने के लिए लोकतंत्र को सबल और पुष्ट करना आवश्यक है।

संगमा जी ने इंस्टीट्यूशन की बात कही थी। बाद में चन्द्रशंखर जी ने उस पर जोर दिया। संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए, कुछ मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। मेरे बारे में कहा गया कि मैं तो पालन करना चाहता हूँ लेकिन मुझे इस तरह से घेर कर रखा गया है कि मैं विवश और लाचार हो जाता हूँ। इतना कमजोर तो मैं नहीं हूँ। राष्ट्र के हित के लिए जो निर्णय आवश्यक हैं वे हमने सारी शक्ति और संकल्प के साथ किए हैं। पता नहीं हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को और ख़ास करके मुलायम सिंह जी को जो कभी-कभी बड़े कठोर बन जाते हैं,

यह बात कहां से दिखाई देती है कि मेरे और आडवाणी जी के बीच मतभेद हैं? ... (व्यवधान) सोच-विचार करिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : आपकी विद्वता पर कभी मुझे शक नहीं है। आपको मुखौटा कहा गया, इसलिए मुझे अफसोस है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुखौटे की चिन्ता मत करिए, मुखौटा उतार कर फेंका जा सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर यह मुखौटा उतर जाएगा तो हम आपके साथ होंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: बहुत अच्छा। फिर आने के लिए तैयार रहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : जिस दिन आप यह मुखौटा उतार देंगे, हमें कोई विरोध नहीं होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मतभेद की बात हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार और श्री शिव शंकर जी के बीच तो समझ में आ सकती है, लेकिन हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आडवाणी जी और मेरा साथ केवल राजनीति का साथ नहीं है। जब मैं पहली बार लोक सभा में चुनकर आया था, तब से आडवाणी जी मेरी सहायता कर रहे हैं और मुझे सहयोग दे रहे हैं। भारत के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का ठीक तरह से पालन किया है। अलग-अलग सवालों पर राय भिन्न हो सकती है। क्या आप सब एक राय के हैं? मुलायम सिंह जी, क्या आप में और बेनी प्रसाद जी में किसी मामले को लेकर राय अलग-अलग नहीं होती है?

... (व्यवधान)

मुझे मालूम है।

श्री मुलायम सिंह यादव : कभी नहीं होती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपील करना चाहता हूँ कि फैसले का वक्त आ गया है। आप तय करिए। हमें जो सेवा करने का मौका मिला था, हमने १३ महीनों में इस बात का थोड़ा सा संकेत दिया है कि अगर हमें पूरा समय मिलेगा तो हम देश का किस तरह से कायाकल्प करेंगे? आखिर चुनाव पांच साल के लिए होते हैं। १३ महीने का काल कोई बहुत लम्बा काल नहीं है लेकिन १३ महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। उनकी आलोचना करके तथ्यों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। व्यक्तिगत आरोप लगा कर अपनी झुंझलाहट, कड़वाहट प्रकट करके जो हमारी उपलब्धियां हैं, उन पर पानी नहीं फेरा जा सकता। जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं, आप उनको मत मानिए। क्या वह जनमत का प्रकटीकरण नहीं है? लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार चले। लोग चाहते हैं कि हमें सेवा करने का आगे मौका मिले। मुझे विश्वास है कि यह सदन इसी पक्ष में फैसला करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your respective seats.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Speaker, Sir, the Chief Minister of Orissa is here. He has come here. He may be a Member but he wants to be the Chief Minister. At the same time, will he vote here? Will it be ethical also? I would like to know about it...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, I am appealing to you to take your seats first.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, आप बैठ जाइए।

Shri Basu Deb Acharia, please take your seat.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : श्री वेणुगोपालचारी, आप बैठ जाइए।

Hon. Members, please take your sets.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज़ बैठ जाइए।

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, Shri P.R. Kumaramangalam has requested that Shrimati Vijaya Raje Scindia and Shri Shivraj Singh Chouhan, who are seriously ill and have been brought into the Lobby by wheel chairs, may be permitted to cast their votes in the Inner Lobby. If the House agrees, they may be permitted to cast their votes in the Inner Lobby.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: A doctor may also be kept there for attending to her.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Mr. Speaker, Sir, I have written a letter to you regarding the normal method which is adopted. I wonder what the Leader of Opposition feels about it. There is a precedent, there are rulings. I would request you to kindly rule whether that is permitted or not permitted with regard to the voting by the Chief Minister of Orissa.

SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): Mr. Speaker, Sir, he is a regular Member of this House. He has not resigned from his membership and he is not a Member of any other House. So, as an elected Member of this House, he has got every right to cast his vote in the House on this particular occasion.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI NAVEEN PATNAIK): Mr. Speaker, Sir, let him go to Orissa and do his job there.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Sir, he receives emoluments from the State Government of Orissa, from the Consolidated Fund of Orissa. That being so ... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): He never exercised his voting right in the State Assembly because he is not a Member of the State Assembly and that is why, he has got every right to vote here. Unless and until he resigns from the membership of this House, he has got every right to vote here.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वेशाली): यह कानून की ए.बी.सी. और संसदीय परम्पराओं को नहीं जानते हैं।

SHRI NAVEEN PATNAIK: Let him go and work in Orissa. There is plenty of work to do in Orissa. Let him go back to the Secretariat in Bhubaneswar. ... (Interruptions) Let him go back to Orissa. (Interruptions) He receives salary from the State Government of Orissa. Let him go back there. (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Mr. Speaker, Sir, he is the Chief Minister of Orissa. How can he come here and vote? (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please go to your seat.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, उन्हें क्यों डिस्टर्ब करते हैं ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वेशाली): इसमें कानून की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको वोट रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस बारे में नियम कहता है, संसदीय प्रणाली कहती है। इसमें गलत परिपाटी नहीं डाली जानी चाहिए।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Shiv Shanker says. (Interruptions)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उन्हें वोट देने का अधिकार है, वोट डालना शुरू हो गया है, आप बटन दबाइये

... (व्यवधान)

SHRI K. KARUNAKARAN (THIRUVANANTHAPURAM): There are a number of precedents. I can quote any number of precedents.

MR. SPEAKER: I have called Shri Shiv Shanker.

... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : What is the justification? ... (Interruptions) How can he be disqualified?

MR. SPEAKER: I have called Shri P. Shiv Shanker.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Under the Constitution, only the President of India can disqualify a Member. There is a well-known procedure. How can he be disqualified? ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have called Shri Shiv Shanker. Are you going to say anything?

SHRI P. SHIV SHANKER (TENALI): Yes. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Shiv Shanker wants to raise something. I have called him.

... (Interruptions)

* Not Recorded.

MR. SPEAKER: Shri Rao, please take your seat.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: What is this?

... (Interruptions)

SHRI P. SHIV SHANKER : Sir, a meaningless and a bogus argument has been raised for the sake of raising that point. ... (Interruptions) Why do you go on interrupting me? ... (Interruptions) After a person is elected, he has to take the oath or affirmation under article 99 of the Constitution which Shri Giridhar Gamang had taken. I will read article 99:

"Every member of either House of Parliament shall, before taking his seat, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule."

Shri Giridhar Gamang had done that. Then, the vacation of seat or the disqualification of a Member takes place only by virtue of article 101 of the Constitution which reads as under:

"(1) No person shall be a member of both Houses of Parliament and provision shall be made by Parliament by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one House or the other.

(2) No person shall be a member both of Parliament and of a House of the Legislature of a State..."

That is important. He is not a Member of the House of the Legislature. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI P. SHIV SHANKER : "...and if a person is chosen a Member

both of Parliament and of a House of the Legislature of a State, then at the expiration of such period..."

He must be elected as a Member of the Legislature, it is only then at the expiration of such period. ...

(Interruptions) Please see Article 101(2) where it is written:

"No person shall be a Member both of Parliament and of a House of the Legislature of a State, and if a person is chosen a Member both of Parliament..." -- he must be chosen -- "...and of a House of the Legislature of a State, then, at the expiration of such period as may be specified in rules made by the President, that person's seat in Parliament shall become vacant,..."

Now, since he has not been elected there, therefore he continues to be a Member here. There are precedents. Shri Bansi Lal, as the Chief Minister of Haryana, had come here to vote. There are precedents of that nature, so I think, there is no basis in that... (Interruptions)

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): Sir, kindly see Article 102 of the Constitution. It says:

"(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a Member of either House of Parliament--
(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder;"

Article 101 does not apply here. This is Article 102 which is applicable... (Interruptions) No, I am not yielding. So, the office of the Chief Minister of a State is an office of profit... (Interruptions) From the point of view of Parliament, it is an office of profit... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I am sorry, the Minister for Human Resource Development has not the slightest knowledge of the constitutional provisions. Sir, kindly see the explanation to the point he just now referred to, even if at all it is relevant. Explanation to Article 102 says:

"For the purposes of this clause..." (Interruptions)

Dr. Joshi read Article 102 (1) (a). The very explanation to the very same Article says:

"For the purposes of this clause a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State."
... (Interruptions) Sir, under Article 103(1) "If any question..." (Interruptions) Sir, they are a bunch of ignorant people. The hon. Minister does not know the Constitution of India! They do not know anything.

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): He does not know anything... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : As per Article 103, on this issue even this House cannot decide. Article 103 says:

"(1) If any question arises as to whether a Member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 102, the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final."

Sir, you cannot disqualify. You are not yet the President of India... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please.

SHRI BALRAM JAKHAR (BIKANER): Sir, I have had presided over this House for ten years. There are conventions and I have my experience that Members had voted here. So, there is no question of his disqualification. We should not refer to these things any longer. Until and unless he is elected there, he can vote here and he has to resign 14 days after his election there, otherwise there is no question at all... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri P.C. Thomas, please take your seat. I have called Shri Advani to speak.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Mr. Speaker, Sir, the legal luminaries are here. I have been discussing the law in the Constitution. But in so far as the proceedings of Parliament are concerned, what is most important is that when similar situations have arisen in the past ... (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली): मैं इस्तीफा देकर यहां पर आई हूँ। ... (व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You have no work to do. ... (Interruptions)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Mr. Speaker, Sir, I want to make the position clear. I went as the Chief Minister while remaining as a Member of Parliament. I resigned from the Assembly and then came to the Parliament. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Mohammad Ali Ashraf Fatmi, please take your seat.

... (Interruptions)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Sir, I never came as the Chief Minister to Parliament. I never voted as the Chief Minister in the Parliament. I resigned from the Assembly and then came here. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down. What is this? Now, Shri L.K. Advani.

... (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI: Mr. Speaker, Sir, at this point of time we are not arguing before a Court of law; we are arguing before the Speaker. In the case of Parliament, what is most relevant is what had happened in the past whenever such situations had arisen. What had been the Chair's ruling in this regard whenever a similar situation had arisen?

I have before me a situation which arose in 1972 when Shri Siddarth Shankar Ray who had assumed the office of the Chief Minister of West Bengal expressed through the Minister of State for Home Affairs his desire to speak in the Lok Sabha on the Demands for Grants of the Home Ministry. ... (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : That is true. ... (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI: This is the Chair's ruling. He was informed that a Member who had assumed the Office of a Minister in a State can not participate in the proceedings of the House. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Muthiah, I have not called you to speak. Please take your seat. What is this?

... (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI: Sir, in another case, Shri Vasant Rao Patil, Member who had been appointed as the Chief Minister of Maharashtra came briefly in the House; he just entered into the House. Immediately, Prof. Madhu Dandavate objected even to his presence in the House and he left the House immediately.

These are the two cases I have cited. In one case, the Chief Minister immediately left the House when objection was taken to his presence. In the second case, the Chief Minister of West Bengal just wanted to speak in the House and the Chair ruled that he cannot speak in the House; he cannot take part in the proceedings of the House. ... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : No ruling can override the Constitution. ... (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI: Sir, in this case the Chief Minister of Orissa has come to take part in the voting of the House, which can be crucial, which can be decisive and which can change the history of the country. ...

(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : That shows the nervousness of the Home Minister. ... (Interruptions)
SHRI L.K. ADVANI: Sir, I would appeal to you that keeping regard of the earlier rulings given by the Chair, you should order Shri Giridhar Gamang to go back to Orissa. ... (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You should have welcomed him. This is your morality. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Now I call upon Shri Jaipal Reddy to speak.
... (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : We are told about morality by them. ... (Interruptions)
KUMARI MAMATA BANERJEE : Yes. ... (Interruptions)
SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, I would like to submit to Shri Advani through you that the so-called convention which he referred to cannot be cited in the face of the letter of the law, in the face of the expressed provisions of the Constitution of India. Now, let me read the Constitution. ... (Interruptions) Article 101 deals with the vacation of seats. ... (Interruptions)
KUMARI MAMATA BANERJEE : What about the proxy vote? These are the proxy votes.
MR. SPEAKER: I have allowed him please.
KUMARI MAMATA BANERJEE : Please allow me also, Sir.
MR. SPEAKER: I allowed Shri Jaipal Reddy.
SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): I would like to mention a few points relating to the Constitutional position very briefly. Article 101 deals with the vacation of seats. Article 102 of the Constitution of India deals with the disqualification of the Members. Even if somebody had incurred disqualification, that disqualification does not come into operation automatically except under Article 103. Article 103 has not been invoked. Nobody in this House is competent to disqualify anybody. Shrimati Sushma Swaraj was Chief Minister. She became Member of the other House. No doubt, she resigned her seat. She came back and I support that contention. I am not asking that she should be disqualified but after having taken advantage of this, it cannot lie in the mouth of the BJP leaders, least of all Shri Advani, to take this position.

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जयपाल जी ने मेरा नाम लिया है। ... (व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : पहले मुझे मौका दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : नहीं, हम बोलेंगे, वे हमारी तरफ बैठ गये।

... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आप पहले मुझे बोलने दीजिए। मुलायम सिंह जी, आप जरा बैठिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलाएंगे, आप बैठ जाइये। पहले सुषमा जी बोलेंगी।

... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जयपाल रेड्डी जी ने

... (व्यवधान)

रघुवंश जी, आप जरा बैठिये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : नियम की अवहेलना हो रही है।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Please sit down. I have not called you.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *

MR. SPEAKER: This will not go on record.

* Not Recorded.

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आपने मुझे आईडेंटिफाई किया, लेकिन बोल वे रहे हैं। आप उन्हें बैठाइये तो मैं अपनी बात कहूँ। मुझे बोलने तो दो न। ...
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये प्लीज। आपको बाद में बुलाएंगे। आप बैठ जाइये। मैंने सुषमा जी को काल किया है।

... (व्यवधान)

What is this? You are always on a point of order.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर सुनिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाइंट ऑफ ऑर्डर बाद में सुनेंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सबसे ऊपर पाइंट ऑफ ऑर्डर है, हमारा पाइंट ऑफ ऑर्डर सुना जाये।

... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उनका पाइंट ऑफ ऑर्डर सुन लिया जाये।

MR. SPEAKER: What is your point of order?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : रूल ३७६ क्लॉज़ ६ का सब-क्लॉज़ सी देखा जाये।

Rule 376, Clause-6, sub-clause `c' says:

"A Member shall not raise a point of order even when a question on any motion is being put to the House."

अध्यक्ष महोदय, आपने क्वेश्चन पुट कर दिया कि विश्वास के प्रस्ताव पर हां कह दें, ना कह दें। हम लोगों ने ना कह दिया। अब घंटी बजाई जानी चाहिए। बीच में पाइंट ऑफ ऑर्डर की कोई गुंजाइश नहीं है। नियम पर मैं खड़ा हूँ, इस नियम को माना जाये और देखा जाये कि तीन वोट के बीच में कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता। सी पार्ट में लिखा है:

"A Member shall not raise a point of order when a question on any motion is being put to the House."

देख लीजिए जो साफ लिखा हुआ है, लिखतन के आगे वक्तम नहीं होगा। लिखा हुआ कानून पालन किया जाए, आपने प्रश्न पुकार दिया है इस पर वोट कराया जाए, इसमें कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर का प्रश्न बीच में नहीं आता। आप इस पर नियमन दीजिए और वोट कराया जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री ने अभी दो उदाहरण देते हुए यह बात सदन में रखी कि एक बार श्री सिद्धार्थ शंकर राय को मुख्य मंत्री रहते हुए इस सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी गई

... (व्यवधान)

सुनिए तो सही, आप सवाल उठा रहे हैं तो जवाब भी सुनिए। उन्होंने कहा कि दूसरी बार एक मुख्य मंत्री के सदन में प्रवेश पर ही आपत्ति की गई। श्री जयपाल रेड्डी ने मेरा नाम लेकर कहा कि सुषमा जी कैसे मुख्य मंत्री बनीं और कैसे सदन के सामने आईं। मैं आपके सामने क्लियर रिकार्ड रखना चाहती हूँ। मैंने उसी स्थापित परम्परा का निर्वाह किया, मैं पुनः रिपीट करना चाहती हूँ कि मैंने स्थापित परम्परा का निर्वाह किया। मैं संसद की सदस्य रहते हुए दिल्ली की मुख्य मंत्री बनीं। अध्यक्ष जी, २८ नवम्बर को संसद का सत्र शुरू हुआ। चार तारीख तक चूंकि मैं मुख्य मंत्री थी, एक बार भी मैंने सदन में प्रवेश तक नहीं किया, हाउस की प्रोसिडिंग में भाग लेने की बात तो दूर की है। एक बार भी मैंने संसद में इस सभागृह में प्रवेश नहीं किया। पांच तारीख को मैंने असेम्बली से इस्तीफा दिया। सी वधान में क्लियर है कि दोनों सीटों में से एक सीट रख सकती थी। पांच दिसम्बर को मैंने असेम्बली से इस्तीफा दिया और हाउस में प्रवेश किया और हाउस की प्रोसिडिंग में हिस्सा लेना शुरू किया। मुख्य मंत्री रहते हुए मैंने एक बार भी सदन की बैठक में भाग नहीं लिया। यहां तक कि सभागृह में प्रवेश नहीं किया। इसलिए सुषमा स वराज ने उसी परम्परा का निर्वाह किया जिसका उद्धरण माननीय आडवाणी जी ने दिया है। जयपाल रेड्डी जी का या उधर के सदस्यों का यह कहना कि सुषमा जी संसद सदस्य रहते हुए मुख्य मंत्री कैसे बन गई थीं, सरासर गलत है, सरासर बेबुनियाद है। मैंने उसी परम्परा का निर्वाह किया है जिसका उद्धरण यहां गृह मंत्री जी ने दिया।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: चेयर को भी बोलना है, चेयर के पास भी किताब है।

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Sir, I am explaining something. That will explain everything to everybody.

MR. SPEAKER: What is your submission?

PROF. P.J. KURIEN : What I am going to say will certainly help you in taking a decision because it is not that only one Member of Parliament from our side was selected as Chief Minister. From the Congress' side two MPs were elected as Chief Ministers, one of Rajasthan and the second of Orissa.

In the case of Rajasthan, he was elected to the Assembly. So, he resigned. In the case of Orissa, election was not held. He is not a Member of the Assembly. ...(Interruptions).

MR. SPEAKER: Prof. Kurien, you are talking about Shri Giridhar Gamang, not about the Houses they got elected.

... (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN : When I was issuing the whip, I considered this matter with legal experts also. Then, I was advised that Shrimati Sushma Swaraj was a Member of this House and elected as Chief Minister. By virtue of becoming a Chief Minister, if she loses the Membership, then he will also lose. If she has lost the Membership to come back here, she should be reelected by the people. Now, if he loses and if he is not a Member, he has already ceased to be a Member and he cannot come here without being elected. This is my point.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): I am referring to three articles of the Constitution of India. The first article to which I am making a reference is Article 100. Article 100 reads like this:

"Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker."

The last portion is not relevant here.

Now, this is the article which is very relevant to the voting in the House. Every question has to be decided on the basis of the vote given by the Member. Now, whether a present Member, Shri Giridhar Gamang, is a Member of this House or not can be decided by reading Article 102 and Article 103.

Now, Article 102 provides that if any question arises as to the qualification, as to the Membership of a Member of this House, then the matter is referred to the President and the President refers that matter to the Election Commissioner. The Election Commissioner takes the voting and he forwards his finding to the President and on the basis of the finding forwarded by the Election Commissioner, the President takes the decision and says that the Member is qualified or says that the Member is disqualified. That is one thing.

Secondly, I come to the disqualification under the Anti-Defection Law. Now, that is decided by the hon. Speaker himself. The case is presented to the hon. Speaker and the hon. Speaker decides whether a Member is qualified

or disqualified. If the hon. Speaker says that the Member is qualified, then he sits and vote and if he says that he is disqualified, he goes.

There is a third method, that is, the resignation of a Member. If a Member gives a resignation and goes out of the House, he is not allowed to vote. These are the three contingencies in which the voting has to take place.

Now, the decision as to the qualification or disqualification is provided in Article 103. Article 103 reads like this:

"If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 102, the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final."

Now, here is a Member who was elected to this House and as is pointed by Shri P. Shiv Shanker, he came to this House, took the oath, participated in the House. So, he is still a Member of this House. He has not resigned. Your goodself has not said that he is disqualified. The President has not said that he is disqualified. He has a right. He is not a Member of the Legislative Assembly in Orissa. He cannot vote there. He has a right to vote here as a Member of this House.

13.00 hrs.

In view of this fact, it will be wrong to disallow the Member to vote in this House because he is not disqualified. He is qualified and is sitting in this House.

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक - माननीय सदस्य, रघुवंश प्रसाद सिंह का पाइंट बिलकुल सही है। दो - चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही माननीय गृह मंत्री जी चुनाव प्रक्रिया में बाधक बन गए। यह कोई नियम और कानून का सवाल नहीं है। सरकार हताशा है, इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप चुनाव प्रक्रिया शुरू कराइए।

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): Sir, kindly have a look at article 88 of the Constitution...(Interruptions)

SOME HON. MEMBERS: No, no...(Interruptions)

SHRI RAM JETHMALANI: Do you not want to hear a sensible argument?... (Interruptions) Sir, article 88 of the Constitution says that every Minister shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of either House, except that he shall not be entitled to vote ...(Interruptions) I have every right to participate in the debate. The only restriction is that I cannot vote. This is an article of the Constitution. If they are so ignorant, they should read article 88 of the Constitution... (Interruptions)

SHRI LALU PRASAD (MADHEPURA): Sir, I am on a point of order...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Lalu Prasad Ji, please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : Mr. Speaker, Sir, actually the process of voting has been started. You have moved the motion, you have asked for the voting, some Members said `Aye', some Members said `No', and Shri Girdhar Gamang also has participated in the voting. In this background, I do not think any person who is not a Member of this House has got any right to speak in the House...(Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI: Mr. Speaker Sir, I have great respect for the erudition and understanding of Shri Shivraj Patil, the former Speaker of this House. Sir, I listened carefully to Shri Shivraj Patil on this issue. The issue that this House is discussing today is not whether Shri Gamang is a Member of this House or not, whether he is disqualified or not, the issue is whether a Member who has become the Chief Minister is entitled to participate in the proceedings of this House or not.(Interruptions)

... (व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप इस पर रूलिंग दीजिए।

... (व्यवधान)

आपका नियमन चाहिए।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members please take your seats.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri S. Jaipal Reddy, please take your seat.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am appealing to you to please take your seats.

... (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI: Sir, I quote from page 816 of 'Practice and Procedure of Parliament' written by Kaul and Shakhder. I would invite the Leader of Opposition to pick up this book of Kaul and Shakhder and refer to page 816. It says:

"Where a member ... is appointed Minister in a State Such a member, if he comes to the House, is not entitled to participate in the proceedings of the House or to vote."

The issue is not whether Shri Gamang is qualified or disqualified. The issue is whether he is entitled to take part in the proceedings of the House or not. On that, all the rulings till now, including this authentic document which we always refer to in the House, are that he cannot participate or vote.(Interruptions) Also, Shri Gamang was allotted division number 308 earlier. That has been cancelled by the Secretariat.(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : How can the Secretariat cancel it?(Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : होम मिनिस्टर साहब ने चेयर के रूलिंग का हवाला दिया। संविधान और एक्ट पर चेयर की रूलिंग नहीं चल सकती, आप मिटा भी नहीं सकते। मान लीजिए बोनाफाइड मेम्बर ऑफ द लोकसभा, अगर कोई मेम्बर पार्लियामेंट में चुन कर आता है तो वह १४ दिन के अंदर एक जगह से इस्तीफा करेगा। संविधान का नियम एवं कायदा स्पष्ट है।

... (व्यवधान)

रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा है कि ये वोट डाल चुके हैं।

अब इनको ज्यादा डाल्यूट ये करना चाहते हैं। आप डाल्यूशन में मत जाइये, मेन-स्ट्रीम में आइये और वोटिंग शुरू कराइये।

SHRI P. SHIV SHANKER : Sir, something has been wrongly read by our friend. He has read it out of context. If you kindly look up, it says :

"Where a Member of either House of Parliament is appointed a Minister in a State but does not resign his seat in Parliament, he incurs no disqualification."

What more do you want? This is what it is. Then, the Amendment to Article 103 of the Constitution has come in 1977, where it says :

"If any question arises as to where a Member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 102, the question shall be referred for the decision of the President."

This has come into effect in 1977, and the explanation part which was read by my friend, Shri Somnath Chatterjee, has come into force in 1985. So, what he has read is the 1971 case about Shri Siddarth Shankar Ray. It has no relevance because of the later Amendment.

SHRI N. JANARDHANA REDDY (BAPATLA): Sir, I got elected to the Rajya Sabha in April 1972. In 1978, though I was a Member of the Rajya Sabha --- let me give me the example, ... (Interruptions)

SHRI LALU PRASAD : Two Members are absent and, therefore, he is prolonging.

SHRI N. JANARDHANA REDDY : In 1978, I had taken oath as a Minister. ... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : ये लम्बा इसलिए खींच रहे हैं कि उनके मैम्बर नहीं आये हैं।

SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): Sir, please give the ruling.

MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats. Please allow the Chair to speak. Shri Lalu Prasad, please sit down. What is this?

... (Interruptions)

SHRI LALU PRASAD : Since two Members are not present, they are disturbing the voting procedure.

श्री मुलायम सिंह यादव : इनके मेम्बर नहीं आये हैं इसलिए ये इसको लम्बा खींच रहे हैं ।

MR. SPEAKER: Shri Lalu Prasad, please take your seat. What is this?

... (Interruptions)

13.15 hrs.